

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :- एफ 1 (1) परि/स्था/स.वा.चा./2015/7803

जयपुर, दिनांक :- 14/5/19

कार्यालय आदेश

परिवहन विभाग (मुख्यालय, अधीनस्थ प्रादेशिक एवं जिला परिवहन कार्यालयों को प्रवर्तन एवं सामान्य कार्यों के संचालन हेतु कॉलम संख्या 6 में वर्णित संख्या तक वाहन चालक राजस्थान एक्स-सर्विसमैन कॉर्पोरेशन (REXCo) के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये संविदा के आधार पर अथवा REXCo के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन दिनांक 01.03.2019 से दिनांक 29.02.2020 तक लेने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	जिलेवार स्वीकृत वाहनों की संख्या	कार्यरत सरकारी वाहन	उपलब्ध सरकारी/संविदा/प्रतिनियुक्ति वाहन चालक	संविदा पर रखे जाने हेतु वाहन चालक
1	2	3	4	5	6
1.	प्रा.प.का. जयपुर	31	24	2	22
2.	जि.प.का. दूदू (जयपुर)	4	3	0	3
3.	जि.प.का. कोटपुतली	4	4	1	3
4.	जि.प.का. शाहपुरा (जयपुर)	4	3	1	2
5.	जि.प.का. चौमू	4	3	1	2
6.	प्रा.प.का. दोसा	8	7	1	6
7.	जि.प.का. सवाई माधोपुर	3	3	2	1
8.	जि.प.का. करौली	4	3	0	3
9.	प्रा.प.का. सीकर	9	7	0	7
10.	जि.प.का. झुन्झुनू	6	4	2	2
11.	जि.प.का. घूरू	4	3	0	3
12.	जि.प.का. सुजानगढ़	4	3	0	3
13.	जि.प.का. खेतड़ी	1	1	0	1
14.	प्रा.प.का. अलवर	11	8	2	6
15.	जि.प.का. शाहजहांपुर	4	3	0	3
16.	जि.प.का. भिवाड़ी	4	3	0	3
17.	प्रा.प.का. भरतपुर	9	9	1	8
18.	जि.प.का. धौलपुर	6	6	1	5
19.	प्रा.प.का. अजमेर	10	7	3	4

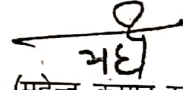
20.	जि.प.का. केकड़ी (अजमेर)	4	2	0	2
21.	जि.प.का. व्यावर	3	1	1	0
22.	जि.प.का. किशनगढ़	4	4	0	4
23.	जि.प.का. नागौर	4	3	0	3
24.	जि.प.का. डीडवाना	4	4	0	4
25.	जि.प.का. टोंक	3	3	0	3
26.	प्रा.प.का. जोधपुर	13	13	0	13
27.	जि.प.का. फलोदी	4	2	1	1
28.	जि.प.का. बाड़मेर	3	3	0	3
29.	जि.प.का. बालोतरा	4	2	0	2
30.	जि.प.का. जैसलमेर	2	2	0	2
31.	प्रा.प.का. पाली	8	8	1	7
32.	जि.प.का. सिरोही	6	4	0	4
33.	जि.प.का. आबूरोड़	4	3	0	3
34.	जि.प.का. जालौर	3	2	0	2
35.	जि.प.का. भीनमाल (जालौर)	4	3	0	3
36.	प्रा.प.का. उदयपुर	12	8	1	7
37.	जि.प.का. राजसमंद	4	4	0	4
38.	जि.प.का. झुगरपुर	3	3	0	3
39.	जि.प.का. रतनपुर (कर संग्रह केन्द्र)	4	2	0	2
40.	जि.प.का. बांसवाडा	3	3	0	3
41.	प्रा.प.का. चित्तौडगढ़	10	8	0	8
42.	जि.प.का. भीलवाडा	5	4	1	3
43.	जि.प.का. शाहपुरा (भीलवाड़ा)	4	2	0	2
44.	जि.प.का. प्रतापगढ़	2	2	0	2
45.	प्रा.प.का. कोटा	9	10	1	9
46.	जि.प.का. रामगंजमण्डी	2	2	0	2
47.	जि.प.का. बून्दी	3	3	0	3
48.	जि.प.का. बांरा	3	3	0	3
49.	जि.प.का. झालावाड	4	4	0	4
50.	प्रा.प.का. बीकानेर	8	7	3	4
51.	जि.प.का. नौखा (बीकानेर)	4	2	0	2

52.	जि.प.का. श्रीगंगानगर	6	5	0	5
53.	जि.प.का. हनुमानगढ़	5	2	0	2
54.	जि.प.का. नोहर (हनुमानगढ़)	4	4	0	4
55.	रोड सेप्टी	1	1	0	1
56.	मुख्यालय	24	22	5	21
योग		323	264	31	237

उपरोक्तानुसार वाहन चालक रखे जाने के लिये निम्नांकित निर्देश भी दिये जाते हैं :-

1. राजस्थान एक्स-सर्विसमैन कॉर्पोरेशन (RExCo) के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों को ही संविदा वाहन चालक के रूप में लगाया जाए एवं उनका सेवा क्रमांक (Army Service No., Airforce Service No., Navy Service No.) सेवा रिकॉर्ड, परिचय पत्र आदि का समुचित रिकार्ड रखा जाये।
2. उक्तानुसार रखे गये वाहन चालक को 6 माह की अवधि से ज्यादा यदि रखा जाए तो उसके कार्य-व्यवहार एवं आचरण के संबंध में संबंधित अधिकारी का पूर्ण संतुष्टि करने का दायित्व होगा।
3. वाहन चालक उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी का होगा तथा वे समय-समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।
4. पारिश्रमिक का भुगतान राज्य सरकार द्वारा नियत दरों पर किया जाना सुनिश्चित करें तथा इन शर्तों की पालना करते समय यह सुनिश्चित करें कि विभाग पर किसी प्रकार का स्थायी दायित्व नहीं बने तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो।
5. प्रादेशिक/जिला/उप जिला परिवहन कार्यालय को आवंटित वाहन चालक की संविदा सेवाओं पर व्यय आयोजना भिन्न मद के लेखाशीर्ष 2041-00-101-(01)-[00]-41 में उपलब्ध प्रावधान से भारित होगा।
6. प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय/प्रवर्तन शाखा को उड़नदस्ते हेतु आवंटित वाहन चालक की संविदा सेवाओं पर व्यय आयोजना भिन्न मद के लेखाशीर्ष 2041-00-102-(02)-[00]-41 में उपलब्ध प्रावधान से भारित होगा।

उक्त आदेश वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. क्रमांक 161900410 दिनांक 16.04.2019 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है।


 (महेन्द्र कुमार खीची)
 अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)

क्रमांक :- एफ 1 (1) परि/स्था/स.वा.चा./2015/7804-7811

जयपुर, दिनांक :- 14/5/19

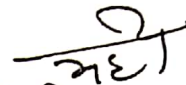
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अति. निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.), राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर को बजट आवंटन हेतु।
5. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी स्वीकृत संख्या तक आवश्यकतानुसार वाहन चालक REXCo के माध्यम से लें तथा कॉलम संख्या 4, 5 व 6 में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर इस कार्यालय को तुरंत सूचित करें, ताकि तदनुसार संशोधन किया जा सके।
6. लेखा एवं भुगतान/प्रवर्तन/स्थापना शाखा, मुख्यालय जयपुर।

7. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूम न. 7222, फूड बिल्डिंग, द्वितीय तल, शासन सचिवालय, जयपुर/पी.8, सांझी छत, सेक्टर-2, विधाधर नगर, जयपुर-302039 को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार संबंधित कार्यालयों को संविदा आधार पर वाहन चालक उपलब्ध करवाने का श्रम करें।

8. रक्षित पत्रावली।

9. सिस्टम रनॉलिस्ट, अपलोड करने हेतु -



अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)